

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

रिव्यू प्रकरण संख्या : 20/2018

RCms Case No. 2018/00036

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण:-
1. मालाराम पुत्र कुकाराम जाति मेघवाल निवासी जाणुन्दा तहसील मारवाड़ जंक्शन		1. तेजाराम पुत्र सुजाराम 2. तुलसाराम पुत्र सुजाराम जातिगण मेघवाल निवासीगण जाणुन्दा तहसील मारवाड़ जंक्शन 3. ग्राम पंचायत जाणुन्दा, जरिये सरपंच

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) राज. पंचायती राज अधिनियम 1994
उपस्थिति -

श्री हरजीराम, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री आशुतोष दवे, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 व 2

—: निर्णय :-

दिनांक:- 10/11/2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 54/2017 तेजाराम वगैरा बनाम मालाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 29.12.2017 के विरुद्ध पेश की गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जैर पुनर्विलोकनाधीन रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय द्वारा जैर पुनर्विलोकनाधीन निर्णय पंचायत में रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के आधार पर खारिज किया गया है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत में रेकॉर्ड के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने पर यह ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी तुलसाराम द्वारा दिनांक 02.06.2016 को चेनाराम वगैरा के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 420, 463, 467, 468, 470, 120 बी. भारतीय दण्ड संहिता के तहत पेश करने पर मुकद्दमा संख्या 139 दिनांक 02.06.2016 को पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन में दर्ज करवाया गया। उक्त प्रकरण के अनुसंधान में ग्राम पंचायत जाणुन्दा ने मिसल, पट्टा एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर की प्रति थानाधिकारी मारवाड़ जंक्शन द्वारा चाही गई, जो ग्राम पंचायत ने पत्रांक 69 दिनांक 06.07.2016 एवं पत्र क्रमांक 80 दिनांक 01.08.2016 के अनुसार मूल मिसल संख्या 46/12-13 उपलब्ध नहीं होना बताया, उक्त मुकद्दमा में तत्कालीन ग्राम सेवक श्री अब्दुल कलाम के दिनांक 13.08.2016 को बयान लिये गए, जिसके अनुसार मिसल संख्या 46/12-13 में पट्टा संख्या 37 चेनाराम व मालाराम के नाम जारी करना बताया, पूर्ण विवरण बयान में अंकित है, जिसके अनुसार नियमों की पूर्ण पालना कर, मौखिक आपत्ति का निस्तारण कर विधिवत पट्टे जारी करना बताया, इससे स्पष्ट है कि मिसल कायम हुई है। मूल मिसल तत्कालीन ग्राम सेवक के पास होने से फोटो प्रति पेश की गई है। यहां यह उल्लेखनीय ग्रुप सचिव का जाणुन्दा में कार्यकाल

अति. जिला कलेक्टर, पाली

माफिक बयान दिनांक 13.08.2016 के अनुसार दिनांक 07.11.2011 से दिनांक 06.06.2015 तक का रहा है, इस कार्यकाल में पट्टा जारी हुआ है, इनके द्वारा चार्ज नहीं देने से वर्तमान ग्राम सेवक ने रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं होना बताया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा पंचायत निगरानी में अंकित तथ्य अनुसंधान के दौरान झूठ पाये गये हैं। अतः रिब्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं जैर पुनर्विलोकन निर्णय दिनांक 29.12.2017 को रिब्यू कराने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें कथन किया कि प्रार्थी द्वारा लिखित बहस के साथ जो बेचाननामा का दस्तावेज प्रस्तुत किया, उसमें अंकित किया कि वादस्थ परिसर प्रार्थी के पिता ने मोडाराम व नेमाजी से खरीद किया था, उसमें कोई पडौस अंकित नहीं है तथा उसमें पट्टा नम्बर 24 दिनांक 1939 का महाराजा अमरसिंह के नाम का बना हुआ होना बताया है, तो जब एक बार पट्टा बना दिया गया है, तो दुबारा उसी भूमि का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। इसलिए उक्त विक्रय विलेख ग्राम पंचायत का काबिल अपास्त है। पट्टा संख्या 24 के आधार पर रजिस्टर्ड दस्तावेज द्वारा हस्तान्तरण हो सकता है। इसलिए प्रार्थी/अपीलाण्ट का रिब्यू प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। यह दस्तावेज ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये सम्बन्धी तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि अनुसार किया गया है, जिसमें रिब्यू की कोई गुंजाईश नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करावें।



बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। जैर पुनर्विलोकनाधीन आदेश का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत जाणुन्दा के प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 05.07.2013, जो मिसल संख्या / में जारी पट्टा संख्या 75 दिनांक 05.07.2014 को निरस्त कराने का निवेदन किया। इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रक्रिया अनुसार सुनवाई की जाकर प्रकरण में दिनांक 29.12.2017 को निर्णय पारित किया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी का मुख्य आधार यह लिया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम करते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा जारी की गई एवं इसकी पालना में पट्टा जारी किया गया। उक्त तथ्य की पुष्टि तत्कालीन ग्राम सेवक द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन के समक्ष दिये गये बयान से होती है। वकील प्रार्थी द्वारा इस तथ्य पर बल दिया गया कि थानाधिकारी के समक्ष तत्कालीन ग्राम सेवक द्वारा मिसल की प्रतियां प्रस्तुत की, किन्तु वकील प्रार्थी ने मिसल की प्रति से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, जो इन तथ्यों का समर्थन करता हो। इस सम्बन्ध में आर०आर०टी० 2007 (2) पेज 1143 नीलकांत व अन्य बनाम उत्तमचन्द्र व अन्य में यह प्रतिपादित किया कि "नजरसानी की शक्तियों का उपयोग साक्ष्य का पुनः परीक्षण अथवा निर्णय पुनः लिखने हेतु नहीं किया जा सकता है। अभिलेख के आमुख पर प्रत्यक्ष त्रुटियों को ही सही किया जा सकता है।" इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर०आर०टी० 2005 (1) पेज 545 सुरेन्द्र कुमार वकील बनाम सी०ई०ओ० एम०पी० में यह प्रतिपादित किया कि "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश 47 नियम 1 - नजरसानी बिन्दु जो सुना और निर्णीत हो चुका है- निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण गलत हो सकता है, किन्तु नजरसानी के लिये आधार नहीं हो सकता।" हस्तगत प्रकरण पर उक्त सिद्धान्त पूर्णतः चस्पा होते हैं। पुनर्विलोकन की परिधी में प्रकरण को नये सिरे से निर्णित नहीं किया जा सकता है एवं जहां तक संभव हो, रिब्यू

पाटी • डिप्टी कलेक्टर, पाटी

की आड में निर्णय में परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) के तहत सारहीन पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर निगरानी संख्या 54/2017 के नत्थी हो।



निर्णय आज दिनांक 10/11/2018
न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली